

कार्यालय कलेक्टर एवं भू-अर्जन अधिकारी बैतूल (म0प्र0)

क्रमांक 6 अ-82/17-18 / भू-अर्जन / 404. 4048 बैतूल दिनांक 28-03-2018
प्रति,

संचालक,
जनसम्पर्क संचालनालय,
विज्ञापन शाखा बानगंगा चौराह के पास,
भोपाल ।

विषय:- ग्राम उमरी तहसील आठनेर के भू-अर्जन प्रकरण में सामाजिक समाघात
निर्धारण रिपोर्ट का प्रकाशन कराने बाबत ।

-0-

म0प्र0 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2015 के नियम 08 के अन्तर्गत उमरी-पाण्डोल लघु जलाशय हेतु मौजा उमरी तहसील आठनेर की भूमि के अर्जन के सम्बंध में सामाजिक समाघात रिपोर्ट की छाया प्रति संलग्न है ।

उक्त सामाजिक समाघात रिपोर्ट का प्रकाशन दो स्थानीय समाचार पत्रों में कराया जाकर प्रकाशन की प्रति इस कार्यालय को भेजने का कष्ट करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

(शशांक मिश्र) 28/3
कलेक्टर एवं

भू-अर्जन अधिकारी बैतूल
बैतूल दिनांक 28-03-2018

पृ0क0 06 अ-82/2017-18/ 4048

प्रतिलिपि:-

1- अनुविभागीय अधिकारी, (रा) भैसदेही को अग्रेषित, सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट कार्यालयीन नोटिस बोर्ड पर प्रकाशन कराया जाकर इस कार्यालय को सूचित करें।

2- कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मुलताई, बैतूल को अग्रेषित सामाजिक समाघात रिपोर्ट का ग्राम स्तर, तथा कार्यालयीन नोटिस बोर्ड पर प्रकाशन कराया जाकर इस कार्यालय को सूचित करें।

3- प्रभारी अधिकारी नजारत शाखा कलेक्टोरेट बैतूल,

4- प्रभारी एन आई सी सेन्टर बैतूल, समुचित सरकार की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु ।

5- तहसीलदार आठनेर को प्रकाशनार्थ अग्रेषित।

6- ग्राम पंचायत उमरी तहसील आठनेर में प्रकाशनार्थ ।

संलग्न-उपरोक्तानुसार

कलेक्टर एवं

भू-अर्जन अधिकारी बैतूल

प्ररूप "ख"
(नियम 5 देखिए)
सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट

26/02/2018


- 1- परियोजना का नाम उमरी पानडोल इटोरिज लघु सिंचाई योजना
- 2- लोक प्रयोजन सिंचाई कार्य
- 3- स्थल उमरी
- 4- परियोजना का क्षेत्र उमरी
- 5- विकल्प जिन पर विचार किया गया उमरी
- 6- परियोजना की पृष्ठ भूमि विकासकर्ता जो इस सिंचाई रकबा खोजने एवं पेशाक व्यवस्था
की पृष्ठ भूमि नियंत्रण सहित कार्यपालन सभी जगह संसाधन संभाव्य है
मुहताई
- 7- परियोजना निर्माण के चरण प्रथम चरण
- 8- परियोजना के प्रभावो को दर्शाने प्रकरण चरण
वाले क्षेत्र के नक्शे प्रकरण में संलग्न है।
- 9- परियोजना के लिए आवश्यक कुल भूमि 1.314 हे०
- 10- भूमि का मूल्य सिंचित भूमि हे०/ 5,08,000/-
- 11- प्रभावित परिवारों की संख्या असिंचित भूमि हे०/ - 2,54,000/-
- 12- परिसम्पतियां:-
लोक सम्पति भूमि 0.120 भवन 1 अन्य
निजी सम्पति भूमि 4.194 भवन - अन्य
- 13- विस्थापित होने वाले संभावित परिवारों की संख्या जिनकी भूमि अर्जित हुई
ग्राम उमरी परिवारों की संख्या निरंक
- 14- सामाजिक समाघात
(क) समाघातों का विवरण निरंकर्ष में उल्लेखित है।
(ख) समाघातों की संकेतक सूची निरंकर्ष में उल्लेखित है।
- 15- विकल्प जिन पर विचार किया गया
(क) यदि हां - तो वर्तमान प्रस्ताव को अधिमान्यता क्यों दी गई? जब उपरोक्त एक कम लागत पर
(ख) यदि नहीं - तो क्यों? अधिक लाभ के उद्देश्य से

निष्कर्ष -


- (1) प्रभावित भूमि के अर्जन से लोक प्रयोजन पूरा होता है।
- (2) प्रभावित भूमि के अर्जन के कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।
- (3) प्रभावित भूमि के अर्जन से जो परिसम्पतियां प्रभावित हो रही है उनका विधिनुसार मुआवजा दिया जा रहा है।
- (4) आवश्यकतानुसार भूमि का ही अर्जन किया जा रहा है।
- (5) इस परियोजना के लिए शासकीय सभी मापदण्डों के अनुसार यही भूमि अर्जन हेतु उपयुक्त पाई गई जिसके कारण भूमि अर्जन के प्रस्ताव पेश किए गए है।
- (6) जिस भूमि का अर्जन प्रस्तावित किया गया है समय खर्च की तुलना में परियोजना से फायदे अधिक है। सभी मापदण्ड के आधार पर अध्ययन किया जाकर परियोजना निर्माण हेतु भूमि का अर्जन उपयुक्त है।


प्ररूप "ख"


उमरी


अनुविभागीय अधिकारी
जल संसाधन अनुविभाग
आठनेर


Atikhatker


S. S. (R)
(BHENSDEHI)


उपजल सहायक अधिकारी
मुहताई (स.)